न्यायालय अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

विविध राजस्व अपील वाद सं0 MAN-7/2011, 20/2011

मो0 शमीम तथा अन्य बनाम शमीमा खातून एवं अन्य

:- आदेश :-

यह विविध राजस्व अपील अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर द्वारा भू-बन्दोबस्ती वाद सं0 13/2005-06 शमीमा खातून पति रमजान अली के नाम ग्राम-सुलतान, थाना नं0 91 थाना-कटकमसांडी के खाता नं0 22 प्लॉट नं0 328 रकबा 0.06 एकड की गयी बन्दोबस्ती के विरूद्ध दाखिल है।

उभय पक्षों को नोटीस निर्गत कर सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी। अपीलार्थी के विज्ञ को दिनांक 22/11/2017 को सुना। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् 29/11/2017 सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी। पुनः विपक्षी द्वारा समय की मांग की गयी। विपक्षी के अनुरोध पर अंतिम मौका देते हुए सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित कि गयी। विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गई एवं सुनवाई के समय अनुपस्थित रहे। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि ग्राम सुलताना थाना नं0 328, रकबा 0.06 एकड भूमि गैरमजरूया खाते कि भूमि रोड किनारे अवस्थित, जिसका उपयोग हिन्दु मुस्लिम दोनो समुदाय के लोग शादी/पंचायत इत्यादि के लिए वर्षो से करते आ रहे हैं।उक्त भूमि का विपक्षी के नाम गलत तरिके से बन्दोबस्ती का प्रस्ताव अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा देकर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर से स्वीकृति प्राप्त किया गया है।

यह भी कहा गया कि अवेदिका भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हे इनका कई जगह में अपना रैयती भूमि है।

प्रश्नगत भूमि पर दोनों समुदाय के द्वारा सार्वाजनिक उपयोग किया जाता है, जिसका व्यक्ति विशेष के साथ बन्दोबस्ती से गांव में रोस है।

अन्त में प्रश्नगत भूमि को दोनों समुदाय के सार्वाजनिक उपयोग के लिए रहने देने तथा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त कथन के प्रति उत्तर में विपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कुछ नहीं कहा गया और न ही लिखित तहरीर दिया गया। इससे परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी के तहरीर पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। अंचल अधिकारी कटकमसांडी के पत्रांक 289 दिनांक 18/04/2018 में प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी के नामतीन जगह खेत है, विपक्षी द्वारा कागजात नहीं दिखाया गया और न ही रकबा बताया गया। प्रश्नगत भूमि के बीचोबीच कच्चा रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग सार्वाजनिक कार्य के लिए लोगो द्वारा किया जाता है।

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के धारा 63, (B) में प्रतिवेदित है कि यदि कोई व्यक्ति बन्दोबस्त भूमि पर पाँच वर्षो तक जोत अबाद (दखल-कब्जा) नहीं करते है तो उनके साथ की गयी बन्दोबस्ती को रदद् किया जा सकता है।

उक्त वर्णित बिन्दु एवं अचंल अधिकारी, कटकमसांडी के प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सदा द्वारा भू-बन्दोबस्ती वाद संख्या 13/05-2006में ग्राम-सुलताना थाना नं0-91 के खाता नं0- 22 प्लॉट नं0 328, रकबा 0.06 एकड शमीमा खातून के नाम की गयी बन्दोबस्ती को रद्द किया जाता है। चुंकि यह सार्वजनिक उपयोग की है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को निदेशित किया जाता है कि वे स्वयं जांच करले यदि विपक्षी भूमिहीन के श्रेणी में आते हैं तो अन्यत्र इनके नाम भूमि बन्दोबस्ती का प्रस्ताव अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजेगें। इसी के साथ इस वाद का आगे की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। अन्य कार्यो में व्यस्त रहने के कारण आदेश पारित करने में विलम्ब हुआ।

लेखापित एवं संशोधित।

9.6.18
उप समाहर्त्ता
हजारीबाग।

12.6.18
अपर समाहर्त्ता
हजारीबाग।